

Date :

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय, फतेहाबाद जिला आगरा।

प्रा०प०स० /2018

विषय- भू- उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की समिति शान्ती जनचेतना समिति बांगुरी शमशाबाद आगरा के स्वामित्व में खसरा नं० 150 ग्राम बाकलपुर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा स्थित एक हेक्टर (10000 वर्ग मीटर) भूमि है जिस पर समिति के द्वारा डा०बी०पी०एस० कॉलेज आफ फॉर्मसी पाठ्यक्रम चलाने के लिए भवन का निर्माण कराया जा चुका है उक्त भूमि को श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा वाद संख्या 05/2010-11 दिनांक 17-02-2011 के द्वारा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जा चुकी है। तशा वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर डा०बी०पी०एस० कॉलेज आफ फॉर्मसी बाकलपुर शमशाबाद आगरा संचालित है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त भूमि का भू-उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की कृपा करें।

दिनांक- 26-02-2018

Raj
Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

शान्ती जनचेतना समिति द्वारा सचिव राजेश परिहार पुत्र श्री भानुप्रतापसिंह परिहार निवासी बांगुरी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा।

मो०- 9719109790

P/4
R1
8/1 report
26/02/2018

सन्तान प्रा०प०स० समिति शान्ती जनचेतना समिति द्वारा सचिव राजेश परिहार पुत्र श्री भानुप्रतापसिंह परिहार निवासी बांगुरी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा द्वारा खसरा नं० 150 वर्ग मीटर इलाका डा०बी०पी०एस० कॉलेज आफ फॉर्मसी पाठ्यक्रम चलाने के लिए भवन का निर्माण कराया जा चुका है। उक्त भूमि को श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा वाद संख्या 05/2010-11 दिनांक 17-02-2011 के द्वारा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जा चुकी है। तशा वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर डा०बी०पी०एस० कॉलेज आफ फॉर्मसी बाकलपुर शमशाबाद आगरा संचालित है।

महोदय
श्रीमान् तहसीलदार महोदय

(वीरेंद्र बाबू विमल)
लेखपाल

तह० फतेहाबाद (आगरा)
(27/02/2018)